

6
न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

सरकार जिरये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरुआ बतान विजय पुत्र मुम्मीराम जाट

प्रकरण अन्तगत प्राप्त 31 एलजास हुपट

खेडली तर्फ रेला

प्रकरण संख्या - RA/77/2018

निर्णय दिनांक - 28/3/2019

समादली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम खेडली तर्फ रेला की सा.ख.नं. 161 कुल रकवा 0-19 कितना जमीन गोमुंशमजान में से 0-01

रकवा पर भी 0-19 पर अमानिस्त्रुम खस से अतिव्रजनम क्रम विजय सो मुम्मीराम द्वारा दिखौक कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरुआ द्वारा दिखौक

खेडली तर्फ

27/3/18

शु.अ.निरी.

जाकर अतिव्रजी

राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 81 के तहत गोदारा जारी किये गये नोटिस की तामील

कराई गई। नोटिस यात तामील प्राप्त होने पर शानिल पत्रावली किये गया। अतिव्रजी

उपस्थित आया। जतन जाटस पेश किये जो शानिल पत्रावली है।

रकवा कितना गोमुंशमजान के नियमन के अन्तर्गत है अलजास औररायस का अतिव्रजित

रकवा से वेदखल किये जाने के आदेश दिए जाते हैं पर तहत स्वरूप लगान 6Paise का

50 गुणा 31 रकवा पैनल्टी आरोपित की जाती है मांचा कायमी हेतु टीआरए को लिखा

जावे, पैनल्टी तसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी अरुआ शु.अ.निरी.

दरौदा को लिखा जाकर याद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

तहसीलदार
कठुमार, अलवर (राज.)

अतिव्रजी - प. ह.